संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/ 378 भोपाल, दिनांक 24/04/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।

विषयः–कोविड–19 के पुष्ट रोगियों के सफल उपचार उपरांत छुट्‌टी (**Discharge Protocols of COVID-19**) के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः– भारत सरकार तथा एम्स की डिस्चार्ज पॉलिसी हेतु मार्गदर्शिका।

प्रदेश में कोविड–19 के पुष्ट रोगियों (COVID-19 Confirmed Cases) के अस्पताल में सफल उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ होने पर छुट्‌टी/डिस्चार्ज के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

- कोविड–19 की जांच में पॉजीटिव पाये गये रोगियों को लक्षण के आधार पर कोविड केयर सेन्टर (COVID Care Centre -CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (Dedicated COVID Health Centre -DCHC) अथवा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल (Dedicated COVID Hospital -DCH) में भर्ती कर उपचारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- रोगी का प्रबंधन उपरोक्तानुसार चिन्हांकित अस्पतालों में मानक कोविड क्लीनिकल प्रोटोकॉल व अन्तर्निहित रोगों के तय प्रोटोकॉल अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
- यदि भर्ती के समय रोगी में श्वसन संक्रमण के लक्षण पाये गये हों तो, DCHC/DCH केन्दों में भर्ती रोगियों का डिस्चार्ज पूर्व छाती का एक्स–रे कराया जाये।
- **कोविड–19 रोगियों की द्वितीय जांच, प्रथम सेम्पल एकत्रिकरण (Sample Collection Date) दिनांक के 14 वे दिन सुनिश्चित की जाये।**
- **रोगी का पुनः तृतीय सेम्पल, द्वितीय सेम्पल के नेगेटिव होने के 24 घन्टे के पश्चात ली जाये। 24 घन्टे के अन्तराल पर की गई 2 परस्पर जांचें नेगेटिव पाये जाने तथा श्वसन संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के एक्स–रे में सुधार (Radiological Clearance of previous abnormalities, if any) परिलक्षित होने पर चिकित्सकीय परामर्श पर रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाये।**
- डिस्चार्ज संबंधी अंतिम निर्णय उपचार करने वाले चिकित्सक का होगा।
- कोविड–19 रोगी को डिस्चार्ज उपरांत 14 दिन घर पर आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाये। उसके मोबाइल फोन पर "सार्थक App" को Install किया जाये जिससे उसकी मॉनीट्ररिंग सुनिश्चित हो सके। इस दौरान संतुलित आहार एवं पर्याप्त पेय पदार्थों के सेवन संबंधी परामर्श दी जाये। साथ ही, **डिस्चार्ज उपरांत यदि पुनः लक्षण दिखाई दें तो, रोगी को तत्काल जिला कोविड कॉल सेन्टर तथा उपचार करने वाले अस्पताल प्रबंधन को सूचित करने की समझाईश दी जाये।** इस हेतु आवश्यक सम्पर्क फोन नम्बर रोगी के डिस्चार्ज टिकिट में अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाये।
- डिस्चार्ज के समय रोगी को डिस्चार्ज टिकिट के साथ उपचार का सम्पूर्ण विवरण, जांच रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियाँ, एवं समस्त डिस्चार्ज औषधियाँ उपलब्ध कराई जाये। साथ ही रोगी को घर पर व्यक्तिगत कपडों, बरतन तथा अन्य सामग्रियों की विषाणुमुक्ति हेतु साबुन पानी से धोने व कपडों को धूप में सुखाने की समझाईश दी जाये।
- समस्त डिस्चार्ज किये रोगियों द्वारा उनके मोबाइल पर "आरोग्य सेतु" तथा "सार्थक" एप डाउनलोड करने का परामर्श दिया जाए ताकि वे लक्षणों की स्वयं निगरानी कर सकें।
- डिस्चार्ज के पूर्व, रोगी के समस्त व्यक्तिगत सामान का विषाणुमुक्ति (Disinfection) 1% सोडियम हाईपाक्लोराइट से सुनिश्चित करने तथा सामान की सुरक्षित वापसी का पूर्ण उत्तरदायित्व उपचार करने वाले संबंधित कोविड अस्पताल प्रबंधन का होगा।

- यदि 14 वे दिन ली गई द्वितीय सेम्पल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो, ऐसे रोगियों की पुनः जांच 5 से 10 दिवस के बाद दोबारा कराई जाये।
- अस्पताल प्रबंधन द्वारा रोगी के डिस्चार्ज के पश्चात, अन्य रोगी को उसी कक्ष/वॉर्ड में भर्ती करने के पूर्व, रोगी द्वारा उपयोग किये गये समस्त अस्पताल फर्नीचर यथा पलंग–गद्दे, साइड टेबल, कुर्सी आदि एवं समस्त सम्पर्क सतहों व शौचालयों का विषाणुमुक्ति (Disinfection) 1% सोडियम हाईपाक्लोराइट से सुनिश्चित की जाये।
-

संलग्नः—Discharge Policy of 2019-nCoV case

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/379 भोपाल, दिनांक 24/04/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
5. मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
8. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
9. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

Discharge Policy of 2019-nCoV case

Clinical samples of any suspect case* of 2019-nCoV will be sent for laboratory confirmation to designated laboratories. The case will be kept in isolation at health facility till the time of receipt of laboratory results and given symptomatic treatment as per the guidelines. If the laboratory results for 2019-nCoV are negative, the discharge of such patients will be governed by his provisional/ confirmed diagnosis and it is upto the treating physician to take a decision guided by clinical condition of the case. The case shall be monitored for 14 days from their date of arrival to India/last exposure whichever is latest. In case the laboratory results are positive for 2019-nCoV, the case shall be managed as per the confirmed case management protocol. The case shall be discharged only after evidence of chest radiographic clearance and viral clearance in respiratory samples after two specimens test negative for 2019-nCoV within a period of 24 hours.

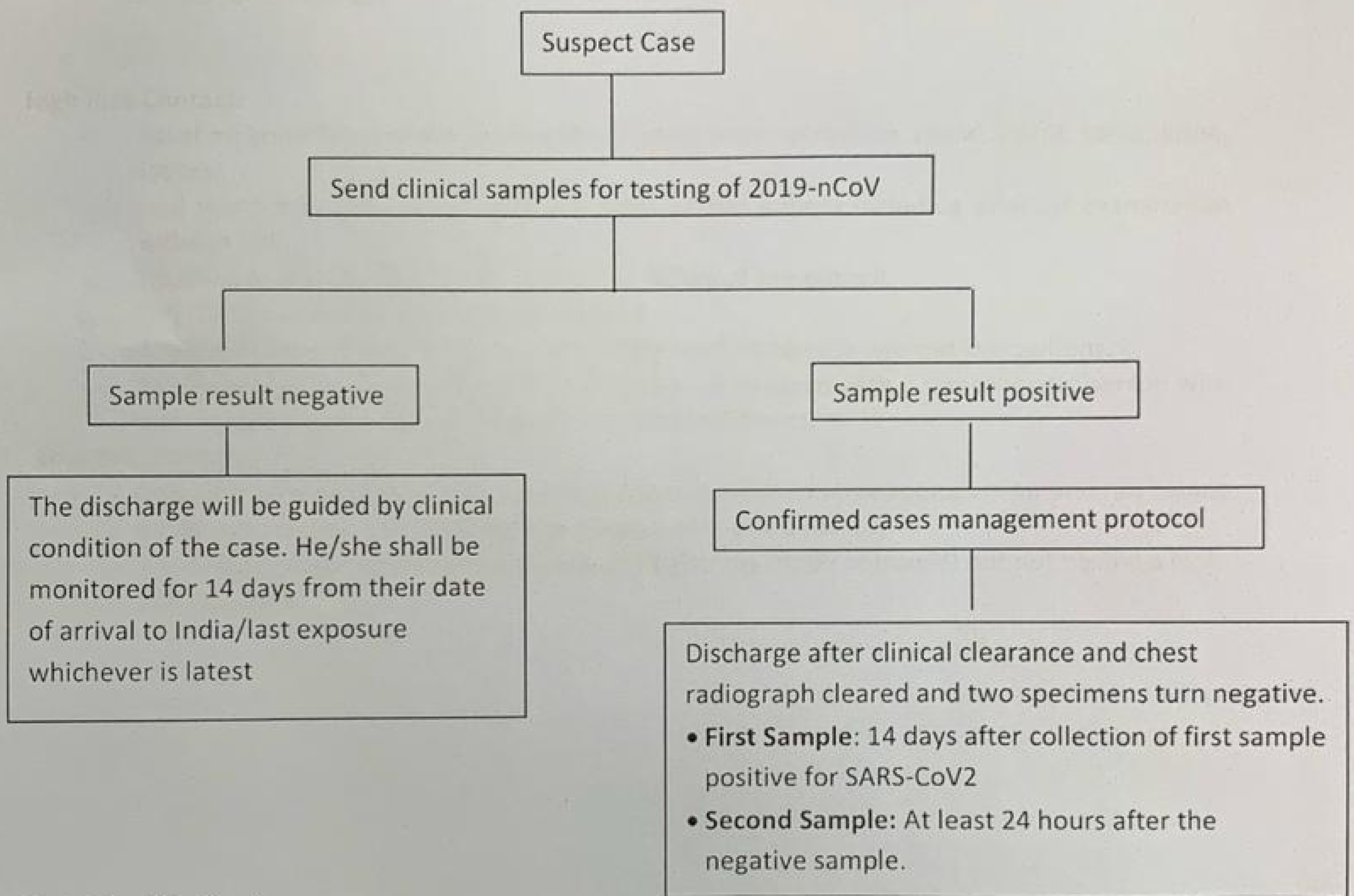

Case Classification*

Suspect Case:

- A patient with acute respiratory illness {fever and at least one sign/symptom of respiratory disease (e.g., cough, shortness of breath)}, **AND** a history of travel to or residence in a country/area or territory reporting local transmission (See NCDC website for updated list) of COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom onset;

  OR

- A patient/Health care worker with any acute respiratory illness **AND** having been in contact with a confirmed COVID-19 case in the last 14 days prior to onset of symptoms;

  OR

- A patient with severe acute respiratory infection {fever and at least one sign/symptom of respiratory disease (e.g., cough, shortness breath)} **AND** requiring hospitalization **AND** with no other etiology that fully explains the clinical presentation;

  OR

- A case for whom testing for COVID-19 is inconclusive.

Laboratory Confirmed case:
A person with laboratory confirmation of COVID-19 infection, irrespective of clinical signs and symptoms.

Updated definition of contact: A contact is a person that is involved in any of the following:

- Providing direct care without proper personal protective equipment (PPE) for COVID-19 patients
- Staying in the same close environment of a COVID-19 patient (including workplace, classroom, household, gatherings).
- Traveling together in close proximity (1 m) with a symptomatic person who later tested positive for COVID-19.

High Risk Contact:

- Touched body fluids of the patient (Respiratory tract secretions, blood, vomit, saliva, urine, faeces)
- Had direct physical contact with the body of the patient including physical examination without PPE.
- Touched or cleaned the linens, clothes, or dishes of the patient.
- Lives in the same household as the patient.
- Anyone in close proximity (within 3 ft) of the confirmed case without precautions.
- Passenger in close proximity (within 3 ft) of a conveyance with a symptomatic person who later tested positive for COVID-19 for more than 6 hours.

Low Risk Contact:

- Shared the same space (Same class for school/worked in same room/similar and not having a high risk exposure to confirmed or suspect case of COVID-19).
- Travelled in same environment (bus/train/flight/any mode of transit) but not having a high-risk exposure.